रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 491] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 6, 1999/आश्विन 14, 1921
No. 491] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 6, 1999/ASVINA 14, 1921

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 1999

**1/1999-स्वापक नियंत्रण-I**

**सा. का. नि. 685 (अ).**—स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी दव्य नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, पहली अक्टूबर, 1999 से आरम्भ होने वाले और 30 सितम्बर, 2000 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार की ओर से अफीम पोस्त की खेती के लिए नीचे विनिर्दिष्ट लाइसेंसों की मंजूरी हेतु सामान्य शर्तें अधिसूचित करती हैं :—

**प्रस्तावना**

भारत सरकार—

अफीम के अनिवार्य औषधीय उपयोग पर विचार करते हुए, अफीम पोस्त की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस कच्ची सामग्री के एम मात्र वैध सप्लायर के रूप में अपनी भूमिका को समझते हुए, औषध अवैध व्यापार, औषधि दुरुपयोग और स्वापक औषधि जनित उग्रवाद की रोकथाम करने की आवश्यकता के प्रति सजगता दर्शाते हुए, एतद्द्वारा फसल वर्ष 2000 के लिए अफीम की खेती के लिए लाइसेंस मंजूर करने हेतु निम्नलिखित सामान्य शर्तें निर्धारित करती हैं :—

1. **खेती करने के स्थान.**—किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाए ।

2. **लाइसेंस के लिए पात्रता.**—केवल वही किसान जिन्होंने फसल वर्ष 1999 के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में औसतन कम से कम 42 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर उपज प्रस्तुत की हो, वे ही लाइसेंस के पात्र होंगे ।

तथापि, उपर्युक्त सीमा निम्नलिखित श्रेणियों के किसानों पर लागू नहीं होगी :

(i) जिसने सरकारी देख रेख में फसल वर्ष 1999 के दौरान पूरी पोस्त खेती की जुताई की हो, अथवा

(ii) उसकी लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील को फसल वर्ष 1999 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दे दी गई हो, अथवा

(iii) उसने पिछले किसी भी वर्ष में पोस्त की खेती की हो और अनुवर्ती वर्ष में लाइसेंस के लिए पात्र हो, किन्तु उसने किसी कारणवश स्वेच्छा से लाइसेंस प्राप्त न किया हो अथवा उसने अनुवर्ती फसल वर्ष में लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी कारणवश पोस्त की खेती न की हो ।

3. **लाइसेंस की शर्तें.**—किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो :—

(क) उसने फसल वर्ष 1999 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसशुदा और नापे गए क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो ;

(ख) उसने कभी भी, अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो अथवा स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं लगाया गया हो ;

(ग) फसल वर्ष 1999 के दौरान उसने केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो द्वारा किसानों को जारी विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन न किया हो अथवा अपनी अफीम में कोई मिलावट न की हो ।

(घ) जिस गांव में उसकी रिहाइश है, उस गांव में फसल वर्ष 2000 के दौरान कम से कम 2 हैक्टेयर में लाइसेंसशुदा अफीम पोस्त की खेती होनी चाहिए ।

परन्तु यह कि खंड (घ) उन किसानों पर लागू नहीं होगा जो अपने अफीम की खेती को उस गांव में स्थानांतरित करने के लिए सहमत हो जाए जहां फसल वर्ष 2000 के दौरान पोस्त की खेती के लिए 2 हैक्टेयर से अधिक भूमि उपलब्ध है ।

4. **नए लाइसेंस.**—अधिसूचित भूखंडों के अंतर्गत आने वाले अफीम की खेती करने वाले गांवों के निवासियों से प्राप्त नए लाइसेंस हेतु आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा । अधिक उपज प्रस्तुत करने वाले गांवों के अवरोहण क्रम में गांवों का चयन किया जाएगा । नए लाइसेंसों को सभी डिविजनों में समान रूप से वितरित किया जाएगा । किसी गांव की औसत उपज का निर्धारण करने हेतु, गांवों द्वारा गत पांच वर्षों में प्रस्तुत की गई प्रति हैक्टेयर अफीम की उपज को हिसाब में लिया जाएगा । उस गांव के लिए, जहां एक से अधिक लम्बरदार है या उसे प्रशासनिक सुविधा के लिए एक से अधिक भागों में विभाजित किया गया है, तो उस मामले में औसत उपज का परिकलन करने के लिए पूरे गांव की उपज को हिसाब में लिया जाएगा ।

5. **नए लाइसेंस जारी करने हेतु शर्तें :—**

(क) आवेदक अफीम की खेती करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए ।

(ख) आवेदक का नाम उस गांव की नई मतदाता सूची में होना चाहिए, जिसका वह निवासी है ।

(ग) आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य पर, एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय में कभी भी आरोप न लगाया गया हो ।

(घ) आवेदक जिस कृषि भूमि पर अफीम पोस्त की खेती करना चाहता है वह उसके नाम होनी चाहिए।

(ङ) आवेदक के पास जनवरी, 1999 से पूर्व जारी किया गया अलग राशन कार्ड होना चाहिए।

(च) नया लाइसेंस एक परिवार में केवल एक व्यक्ति को जारी किया जाएगा।

(छ) यदि एक ही परिवार से एक से अधिक आवेदक हों तो उसमें से सबसे बड़े सदस्य को लाइसेंस दिया जाएगा।

(झ) यदि सभी बातें समान हों तो उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास सिंचाई सुविधा हो।

नये लाइसेंसों को जारी करन के लिए परिवार को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

"परिवार में पिता, माता, पति/पत्नी, अविवाहित भाई, अविवाहित बहनें, आश्रित पुत्र एवं अविवाहित पुत्रियां शामिल हैं"।

6. **अधिकतम क्षेत्र.**—कृषि के लिए 20 आरी और 30 आरी का खंड होगा। लाइसेंसधारकों को उस संपूर्ण क्षेत्र में खेती करनी होगी जिसके लिए लाइसेंस जारी किया गया है यदि कोई लाइसेंसधारक उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं करता है तो वह आगामी फसल वर्षों के लिए अफीम पोस्त की खेती के लाइसेंस का हकदार नहीं होगा।

किसान एक से अधिक प्लाट में अफीम पोस्त बो सकता है परन्तु प्रत्येक प्लाट 10 आरी से कम नहीं होना चाहिए।

7. **माफी योग्य सीमा.**—अतिरिक्त अथवा कम खेती के संबंध में माफी योग्य सीमा लाइसेंसशुदा क्षेत्र के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

8. **फसल वर्ष 2001 में न्यूनतम अर्हक उपज.**—अनुवर्ती वर्ष में अफीम लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र बनने हेतु फसल वर्ष 2000 में प्रति हैक्टेयर 52 कि. ग्रा. और उत्तर प्रदेश में प्रति हैक्टेयर 44 कि. ग्रा. की न्यूनतम अर्हकारी उपज अवश्य प्रस्तुत

9. विविध :

(i) इन अनुदेशों से नारकोटिक्स आयुक्त और/अथवा नारकोटिक्स उपायुक्त के किसी लाइसेंस को जारी करने अथवा इसे रोकने के अधिकार को कोई क्षति नहीं पहुंचती जब भी वह स्थापक औषधि तथा मन-प्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/उपबंधों के अनुसार ऐसा करना ठीक समझता हो।

(ii) ऊपर वर्णित अफीम की मात्रा का कारखाना विश्लेषणों के आधार पर 70 डिग्री शुद्धता के आधार पर हिसाब लगाया जाएगा।

(iii) उपर्युक्त के बावजूद, सरकार अपने पास यह अधिकार सुरक्षित रखती है कि वह ऐसे गावों में अफीम की खेती के लिए दी गई अनुमति को निरस्त कर दे जहां किसी भी समय 2 हैक्टेयर अथवा सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य सीमा से कम क्षेत्र में खेती की गई हो।

[सं. 1/99/फा. सं. 616/5/99-एन. सी. I]

रमेश कुमार, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th October, 1999

**1/1999-Narcotics Control-I**

G.S.R. 685(E).— In pursuance of rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby notifies the general conditions for grant of licences specified below for cultivation of opium poppy on account of the Central Government during the Opium crop year commencing on the 1st day of October, 1999 and ending with the 30th day of September, 2000.

## PREAMBLE

The Government of India—

**CONSIDERING** the indispensable medicinal use of opium,

**RECOGNISING** its role as the sole licit supplier of this raw material to meet requirements of opiates,

**CONSCIOUS** of the necessity to prevent and combat drug trafficking, drug abuse and narco-terrorism,

**HEREBY** lays down the following general conditions for grant of licences for opium cultivation for the crop year 2000.

## 1. PLACES OF CULTIVATION

Poppy cultivation may be licenced in any tract as may be notified in this behalf by the Central Government.

## 2. ELIGIBILITY FOR CULTIVATION

Only those cultivators who have tendered an average yield of not less than 42 kgs./hectare in the States of Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh during the crop year 1999 shall be eligible for licences

However, the above limits shall not be applicable to the cultivators of following categories:

(I) Who ploughed back their entire poppy cultivation during 1999 crop year under the supervision of Government

(II) Whose appeal against refusal of Licence has been allowed after the last date of settlement in the crop year 1999; or

(III) Who cultivated poppy in any previous year and were eligible for licence in the following year, but did not voluntarily obtain the licence for any reason, or who after having obtained licence for following crop year, did not cultivate poppy due to any reason.

## 3. CONDITIONS OF LICENCE

No cultivator shall be granted licence unless he/she satisfies that:

(a) He/She did not exceed the area licenced and measured for poppy cultivation during the crop year 1999;

(b) He/She did not at any time resort to illicit cultivation of opium poppy and was not charged in the competent court for any offence under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made thereunder;

(c) During the crop year 1999 he/she did not violate any departmental instructions issued by the Central Bureau of Narcotics to the cultivators or had not adulterated his/her opium;

(d) The village where he/she resides will have a minimum of 2 hectares under licenced opium poppy cultivation during the crop year 2000.

Provided that clause (d) shall not apply to the cultivator who agrees to transfer his poppy cultivation in a village which has more than 2 hectares of land for poppy cultivation during the crop year 2000.

## 4. NEW LICENCES

Applications for new licences shall be considered from the residents of opium cultivating villages falling in the notified tracts. *The villages will be selected in descending order from high yielding villages.* New licences will be distributed equally amongst all the Divisions. For determination of average yield of a village, the average of the opium yield per hectare tendered by the villages in the last five years shall be taken into account. For a village, which has more than one Lambardar or is divided into more than one part for administrative convenience, the yield of the entire village will be taken into account for computing the average yield.

## 5. CONDITIONS FOR ISSUE OF NEW LICENCES

(a) The applicant should be physically capable of carrying out opium cultivation.

(b) The name of the applicant should appear in the latest Voters List of the village of which he/she is a resident.

(c) The applicant or anyone of his/her family members should not have ever been charged in the Competent Court for any offence under the NDPS Act, 1985 and rules made thereunder.

(d) The applicant should have agricultural land in his/her name on which he/she intends to cultivate opium poppy.

(e) The applicant should have a separate ration card issued prior to January 1999.

(f) New licence will be issued to only one person in a family.

(g) If there is more than one applicant from the same family, the eldest member will be given the licence.

(h) Other things being equal, preference will be given to applicants having irrigation facilities.

For issuing new licences, "family" is defined as:

> "Family consists of father, mother, spouse, unmarried brothers, unmarried sisters, dependant sons, and unmarried daughters."

## 6. MAXIMUM AREA

Slabs for cultivation shall be 20 ares and 30 ares. The licensees shall sow in the entire area for which license has been issued. Failure to follow the above conditions shall disentitle the licensees for license of opium poppy cultivation for future crop years.

A cultivator can sow opium poppy in more than one plot but each plot should not be less than 10 ares.

## 7. CONDONABLE LIMIT

The condonable limit in respect of excess or shortfall in cultivated area shall not exceed 5% of the licenced area.

## 8. MINIMUM QUALIFYING YIELD IN THE CROP YEAR 2001

A minimum qualifying yield of 52 kg/hectare in Madhya Pradesh and Rajasthan and 44 kg/hectare in Uttar Pradesh must be tendered during the crop year 2000 to become eligible for opium licence in the following year.

## 9. MISCELLANEOUS

(i) These instructions are without prejudice to the right of the Narcotics Commissioner/Deputy Narcotics Commissioner to issue/withhold a licence whenever it is deemed proper so to do in accordance with the provisions of the Narcotics Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made thereunder.

(ii) The quantity of opium mentioned above will be calculated at 70 degree consistence, on factory analysis.

(iii) Notwithstanding anything stated above, the Government reserves the right to withdraw permission for opium cultivation in such villages where the total area under cultivation, at any time, falls below 2 hectares or any other limit prescribed by the Government.

[No. 1/99/F. No. 616/5/99-NC-I]

RAMESH KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.